कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

email: raigarhcmho@gmail.com

क्रमांक / एन.एच.एम. / एच.आर. / 2024-25 / 10051 रायगढ़, दिनांक 02/07/2024

-:संविदा भर्ती विज्ञापन:-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जिले में स्वीकृत आर.ओ.पी. के अनुसार तथा मानव संसाधन नीति-2018 में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला रायगढ़ अन्तर्गत निम्नांकित **संविदा पदों** में भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भगवानपुर, जिंदल रोड, रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के पते पर** स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से **दिनांक** 16-07-2024 तक कार्यालयीन समय में सायं 5:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। पदवार रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत रिक्त पदों का वर्गवार विवरण

क्र.	पद नाम	कुल रिक्त पद	कुल रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण				शैक्षणिक योग्यता	संविदा आधारित एकमुश्त मासिक वेतन
			UR	OBC	SC	ST	Essential Educational Qualification	
1	2ND ANM(NHM)	2	0	1	1	0	12th Passed, ANM Passed & INC affilited Training center & live Registration in Chhattisgarh Nursing Ragistration Council	12000/-
2	Nursing Officer (NHM)	10	3	4	1	2	BSC. Nursing OR GNM Course Passed & Live Registrastion in Chhattisgarh Nursing Registration Council	16500/-
3	OT Technician (LaQsya FRUs)	1	0	0	0	1	1. जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिक विषय में 10+2 उत्तीर्ण। 2. ओ.टी. टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स एवं छ.ग. पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।	14000/-
4	MO - AYUSH (Male)	1	0	0	0	1	BHMS/BAMS/BUMS Degree Registration from any GOI Reconised (BAMS/BHMS/BUMS) Ayush, Homeo, Unani Registration Board	25000/-
5	MO - AYUSH (Female)	4	1	0	0	3	BHMS/BAMS/BUMS Degree Registration from any GOI Reconised (BAMS/BHMS/BUMS) Ayush, Homeo, Unani Registration Board	25000/-
6	ANM (RBSK)	2	1	1	0	0	ANM Course Passed in Indian Nursing Board & Live Registration in Chhattisgarh Nurses Ragistration Council	12000/-
7	Technical Assistant - Optemetrist (DEIC)	1	1	0	0	0	Diploma in Optometry form a Recognized Institution However. Candidates Having Masters/Bachelor Degree in Optometry will be given preference.	15000/-
8	Laboratory Technician (DEIC)	1	1	0	0	0	D.M.L.T. Or B.M.L.T./Passed in Pathology Paramedical Course With Ragistration in C.G. Paramedical Council.	14000/-
9	Dental Assistant (DEIC)	1	1	0	0	0	Diploma in Dental Technology from a recognized intitution(Reference will be given to candidates having at least 2 years post Qalification experience in related field)	14000/-
10	Staff Nurse – (NRC)	2	0	0	0	2	BSC. Nursing OR GNM Course Passed & Live Registrastion in Chhattisgarh Nursing Registration Council	16000/-
11	Feeding Demonstrator (NRC)	1	0	0	0	1	BSC Home Science	12000/-
12	Staff Nurse – (SNCU)	1	1	0	0	0	BSC. Nursing OR GNM Course Passed & Live Registration in Chhattisgarh Nursing Registration Council	16000/-
13	Counselor – (NHM)	2	1	0	0	1	PG Degree/Diploma in Psychology/Counselling/health/education/Mass Communication/ Social Science	12000/-

14	Psychologist – Clinical (NMHP)	1	1	0	0	0	1– एम.फिल क्लिनिकल साईकोलॉजी, यदि योग्यता न होने की दशा में एम.एस.सी. साईकोलॉजी / एमएससी रिहैबिलिटेशन साईकोलॉजी / एमए साईकोलॉजी, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है एवं 02 वर्ष मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल अथवा क्लिनिक में कार्य करने का अनुभव 2– अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन कम्यूनिटी मेंटल हेल्थ (क्लिनिकल साईकोलॉजी) को प्राथमिकता दी जावेगी।	31500/-
15	Secretarial Assistant - NMHP1	1	1	0	0	0	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	13650/-
16	ANM (NUHM)	3	1	1	0	1	12th passed, ANM passed with INC affilited Training centre & Live Registration in Chhattisgarh Nurse Registration Council	12000/-
17	Nursing Officer (NUHM)	1	0	0	0	1	BSC. Nursing OR GNM Course Passed & Live Registration in Chhattisgarh Nursing Registration Council	16500/-
18	Pharmacists (NUHM)	2	0	1	0	1	Degree or Diploma in Pharmacy & Registration in Pharmacy Registration Council	16500/-
19	Opthalmic Assistant(NUHM)	1	1	0	0	0	2 Year Diploma Course in Optometry/01 Year Govt Hospital NPCB Training in Opthelmic Assistant	12000/-
20	Secretarial Assistant – (SNCU)	1	1	0	0	0	B.com (Minimum 55%)+ 1 Year Diploma (PGDCA)	12000/-
21	Block Manager – Account (NHM)	1	0	0	0	1	B.com (Minimum 55%)+ 1 Year Diploma (PGDCA) Knowlegded Tally	21000/-
22	Secretarial Assistant – (IDSP)	1	0	0	0	1	Graduate with at least 1 Year Diploma In Computer Applications	13650/-
23	Jr. Secretarial Assistant – (NHM)	1	1	0	0	0	12 th Passed with At least 1 Year Diploma in Computer Application	12000/-
24	Jr. Secretarial Assistant - PADA	6	2	1	1	2	12th Passed with At least 1 year Diploma in Computer Aplications	12000/-
25	Staff Nurse – UHWC(15th Finance)	12	5	2	1	4	01. B.Sc Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing 02. General Nursing and Midwifery (GNM) with CG Nursing Council registration (Final Merit list prepared on the basis of order of priority like 1 & 2)	16500/-
26	MPW Male – UHWC (15th Finance)	13	6	2	1	4	Must have passed Higher Secondary Examination (10+2) examination with Biology Subject. One Year Diploma in Multipurpose worker Training or Equivalent Training from Training center recognized by the state government with registered in chhattisgarh Paramedical Council.	14000/-
27	Jr.Secretarial Assistant – UHWC (15th Finance)	13	5 (F-1)	2	1	5 (F-1)	12th Passed with at least 1 year Computer Diploma	12000/-
28	Class IV – UHWC (15th Finance)	12	5 (F-1)	2	1	4 (F-1)	10th Passed	10000/-
29	Physiotherapist	7	3	0	1	3	Bechelor's Degree in Physiotherapy (BPT)	18000/-
30	Staff Nurse – (NBSU)	18	6	2	2	8	BSC. Nursing OR GNM Course Passed & Live Registrastion in Chhattisgarh Nursing Registration Council	16000/-
31	Community Health Officer	88	31 (F-9) (F-OL-1)	0	18 (F-5)	39 (F-11) (M-OL-1)	B.Sc. Nursing/Post Basic Nursing Certificate in Community Health Integrated Course Registrastion in Chhattisgarh Nursing Registration Council	16500/
	Total	211	79	19	28	85		

जिला स्तरीय चयन / भर्ती प्रक्रिया के संबंध में नियम-शर्ते एवं दिशा-निर्देश

1. **आवेदन पत्र / विज्ञापन के संबंध में :-**

1.1 यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668 / 2022 कि अंतिम आदेश के अधीन होगी।

1.2 नियमानुसार जिला आरक्षण रोस्टर का पालन किया जावेगा।

1.3 अभ्यर्थी का संबंधित कौंसिल में विज्ञापन जारी तिथि से पूर्व का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

1.4 विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारुप व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्ते व दिशा-निर्देश एवं चयनित उम्मीदवारों की सूची, तथा भर्ती संबंधी अन्य समस्त जानकारियां समय-समय में कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा एवं जिले की वेबसाइट **www.raigarh.gov.in** में देखी व डाउनलोड की जा सकेगी, इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से सूचना नहीं दी जावेगी।

1.5 आवेदन पत्र स्वप्रमाणित अनिवार्य समस्त दस्तावेजों के साथ कार्यालयीन समय शाम 5.00 बजे तक दिनांक 16-07-2024 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भगवानपुर जिंदल रोड़, रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) के पते पर स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित / जमा कर सकते है, इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।

1.6 आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि में कार्यालयीन समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

1.7 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1.8 अपूर्ण (Incomplete) एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जाएंगे। प्रत्येक आवेदक को चाहिए की विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी, आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण होने पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। विज्ञापन जारी करने के उपरांत निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त ना होने पर डाक विलंब के लिये विभाग की कोई जिम्मेदार नहीं होगी।

1.9 उपरोक्त पदों पर आवेदन के समय मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल / संस्था / विश्वविद्यालय से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (समस्त सेमेस्टर / समस्त वर्षो की अंक सूची) एवं कम्प्यूटर से संबंधित डिग्री / डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से होना अनिवार्य है।

1.10 अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र के साथ नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश की छायाप्रति एवं अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रमाण-पत्र में जारीकर्ता कार्यालय का जावक क्रमांक व तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

1.11 विज्ञापित रिक्त पद हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, पद क्रमांक, संवर्ग (अनारक्षित, अ.जा. ,अ.ज.जा., अ.पि.व.) स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। लिफाफे के ऊपर पद का नाम, पद क्रमांक, संवर्ग उल्लेखित नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदन को मान्य / अमान्य करने का अधिकार चयन समिति को होगा।

1.12 आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य / वांछित शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की पूर्ण अंकसूची की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1.13 एक से अधिक पदों के लिये आवेदन देने की स्थिति में प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र व पृथक-पृथक आवेदन शुल्क प्रस्तुत करना होगा।

2. **आवेदन शुल्क का विवरण :-**

क्र	वर्ग	मानदेय प्रतिमाह 25000 से कम आय के पदों के लिये	मानदेय प्रतिमाह 25000 एवं 25000 से अधिक आय के पदों के लिये	रिमार्क
1	दिव्यांग / अ.जा. / अ.ज.जा.	100 रु.	200 रु.	आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा DISTRICT HEALTH SOCIETY RAIGARH - NON NRHM Fund के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा।
2	अन्य पिछड़ा वर्ग / महिला	200 रु.	300 रु.	
3	अनारक्षित संवर्ग	300 रु.	400 रु.	

2.1 प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा DISTRICT HEALTH SOCIETY RAIGARH-NON NRHM Fund के नाम से देय होगा डी.डी. (Demand Draft) की **मूल प्रति** आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, डिमांड ड्राफ्ट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन शुल्क देय मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र में डी.डी क्रमांक एवं दिनांक का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा, बिना आवेदन शुल्क के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा, 01 से अधिक पदों हेतु आवेदन करने पर, प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग आवेदन शुल्क डी.डी. (Demand Draft) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो **Non-Refundable** (वापसी देय योग्य नहीं) होगा।

3. आरक्षण :-

3.1 विशेष आरक्षण अर्हता रखने वाले **(दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/महिला आरक्षण नियमानुसार होगी)** अभ्यार्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने होंगे, अन्यथा ऐसे अभ्यार्थियों को आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न ना होने की स्थिति में संबंधित प्रवर्ग के सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।

3.2 संविदा नियुक्ति के लिये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम का पालन किया जावेगा, छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश जो समय-समय पर जारी हुए हैं, लागू होंगे।

3.3 संविदा भर्ती के संदर्भ में आरक्षण व अन्य शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति-2018 एवं मानव संसाधन नीति-2018 के यथासंभव संशोधित नियमों के सभी शर्तो व नियम के अनुसार लागू होंगे।

3.4 आवेदन पत्र के साथ अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (सामाजिक प्रास्थितिक प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा, इस विषय पर छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

3.5 दिव्यांग आवेदकों को छत्तीसगढ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होगें, जो कम से कम 40 प्रतिशत् संगत दिव्यांगता से ग्रसित हो। जो अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.6 आवेदन पत्र के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र (सामाजिक प्रास्थितिक प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.7 विज्ञापन के सरल क्रमांक 27, 28 एवं 31 हेतु आरक्षित पदों में F-महिला, M-पुरुष, OL-वन लेग(दिव्यांग), पढ़ा जावे।

4. आयु सीमा :-

4.1 संविदा भर्ती के लिये न्युनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी आयु की गणना विज्ञापन वर्ष के दिनॉक 01 जनवरी 2024 से की जावेगी।

5. शैक्षणिक अर्हता:-

5.1 Community Health Officer (CHO) के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन पर अंकित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी (बीएससी नर्सिंग/पोस्ट बेसिक नर्सिंग के अंतिम वर्ष की अंकसूची में अंकित एग्रीगेट अंक को आवेदन में भरा जावे) इसी मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।

5.2 Community Health Officer (CHO) के पद पर ऐसे अभ्यर्थी जो सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.Sc.Nursing Certificate in Community Health Integrated Course) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integrated Course) उत्तीर्ण हो उन्हें विज्ञापन में संलग्न Appendix-1 अनुसार Integrated Course उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर कराकर आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

5.3 Community Health Officer (CHO) पद हेतु संबंधित नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य हैं, छ.ग. नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन नहीं होने की स्थिति में चयन के पश्चात् 45 दिवस का समय प्रदान किया जावेगा।

5.4 आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो ग्रेडिंग सिस्टम से उत्तीर्ण हुए हैं, वे संबंधित स्कूल/विभाग के प्राचार्य/प्रधान पाठक/उच्चाधिकारियों के हस्ताक्षर एवं सील मुद्रा के साथ पूर्णाक व प्राप्तांक की जानकारी आवेदन में संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

5.5 संयुक्त संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक/एनएचएम/एचआर/2022/एसएन/1637/ 3703 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24.02.2022 के अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा/साक्षात्कार/लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 40 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जायेगा।

5.6 आवश्यकतानुसार कौशल परीक्षा जिला मुख्यालय में ली जावेगी। जिसमें सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा/दैनिक भत्ता भुगतान नहीं किया जावेगा।

5.7 संविदा मानदेय- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता (सुविधा) देय नहीं होगा।

5.8 आवश्यकतानुसार कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सूची तथा परीक्षा स्थान की जानकारी एवं भर्ती संबंधी जानकारियां समय-समय पर जिले के वेबसाइट **www.raigarh.gov.in** एवं कार्यालयीन सूचना पटल में उपलब्ध कराई जावेगी, अन्य किसी माध्यम से सूचना नहीं दिया जायेगा।

5.9 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव डाला/डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा

इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

6.0 प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा हेतु आहूत किया जावेगा।

क्र.	कुल विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या	लिखित परीक्षा/साक्षात्कार लिये जाने हेतु वरीयता के आधार पर अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना
3	51 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुना

6. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयताक्रम निर्धारित किया जावेगा। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी, उसे वरीयता प्रदान किया जावेगा।

7. संविदा अवधि/वेतन निर्धारण :-

7.1 यह नियुक्ति संविदा आधार पर दिनांक 31 मार्च 2025 तक के लिए की जावेगी, कार्य संतोषजनक पाये जाने पर सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकती है तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर.ओ.पी. में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।

7.2 संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त संविदा वेतन व अन्य राशि प्रावधानित आर.ओ.पी. अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।

7.3 चयनित अधिकारी/कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा एक माह का अग्रिम नोटिस या एक माह का वेतन देकर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी अथवा अधिकारी/कर्मचारी एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का वेतन जमा कर स्वयं पद त्याग कर सकता है।

7.4 संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी का सेवा वृद्धि हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ''वार्षिक कार्यमूल्यांकन'' के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा। कार्य संतोषजनक न होने तथा कार्यमूल्यांकन हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त न करने की दशा नियमानुसार 03 माह का नोटिस व सेवा समाप्ति नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

8. अनुभव संबंधी नियम/शर्तें :-

8.1 अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्था के ही मान्य होंगे, आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को पद से संबंधित कार्यानुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 03 अंक, अधिकतम 15 अंक एवं अन्य अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक अधिकतम 10 अंक प्रदान किया जावेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यानुभव का अंक तभी प्रदान किया जावेगा, जब अनुभव प्रमाण पत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्य करने का स्पष्ट उल्लेख हो।

8.2 संबंधित पद के कार्य अनुभव हेतु (अन्य अभ्यर्थियों को) प्रति वर्ष के मान से 02 अंक अधिकतम 5 वर्ष हेतु (कुल 10 अंक) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अतंर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रति वर्ष के मान से 03 अंक अधिकतम 05 वर्ष हेतु (कुल 15 अंक) दिया जावेगा।

अ.) अनुभव 15 अंक - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को 03 अंक प्रतिवर्ष के आधार पर अधिकतम 15 अंक देय होगा।

ब.) अनुभव 10 अंक - अन्य शासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को 02 अंक प्रतिवर्ष के आधार पर अधिकतम 10 अंक देय होगा।

स.) अवर सचिव छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आदेश पत्र क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07 दिसंबर 2021 के तहत् कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छ.ग. राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को संबंधित पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा। उक्त संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जावेगा।

<u>नोटः- मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का विज्ञापन क्रमांक/NHM/HR/2022/NS-29/107 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 11.04.2022 के संदर्भ अनुसार अभ्यर्थी द्वारा यदि अ,ब,स तीनों में से दो अथवा तीन अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे दोनों अथवा तीनों में जिसका अंक अधिक हो केवल एक का ही लाभ दिया जावेगा।</u>

8.3 ए.एन.एम./जी.एन.एम./नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के संविदा में भर्ती हेतु मितानिन के रूप में कार्यानुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 04 अंक, अधिकतम 05 वर्ष हेतु अधिकतम 20 अंक प्रदान किया जावेगा जिसके लिये राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, रायपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

8.4 अंतिम चयन सूची का निर्धारण में ए.एन.एम. / जी.एन.एम. / नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता / कौशल परीक्षा / अनुभव के अंक क्रमशः 60 / 20 / 20 के अनुसार गणना की जावेगी।

8.5 ए.एन.एम. पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता ए.एन.एम. उत्तीर्ण अंकों के प्रतिशत के आधार पर गणना की जावेगी।

8.6 उक्त पद के लिए प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से 01 वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया (जो पहले हो) सम्पन्न होने तक वैध रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद / त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी उक्त प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

8.7 कोविड-19 में कार्य किये जाने का बोनस अंक का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जावेगा, जिनके द्वारा कोविड-19 में कार्य करने की नियुक्ति आदेश की प्रति एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया हो।

8.8 अनुभव में अंकों की गणना वर्षों के गुणांक के आधार पर (वर्ष पूर्ण होने पर) ही दिया जावेगा तथा 12 माह से कम होने पर अंकों की गणना नहीं की जावेगी।

8.9 अनुभव प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का ओवर राईटिंग / त्रुटिपूर्ण होने अथवा जावक क्रमांक व दिनांक न होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जावेगा।

8.10 अभ्यर्थी द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्र आवेदित पद से संबंधित होना अनिवार्य है तथा नियोक्ता द्वारा जारी आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें आदेश क्रमांक व नियुक्ति दिनांक का स्पष्ट उल्लेख हो।

8.11 पद से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं वित्त पोषित संस्थाओं के अनुभव मान्य होंगे। किसी पद से संबंधित प्रशिक्षण एवं निःशुल्क सेवा कार्य के अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अनुभव प्रमाण-पत्र को मान्य नहीं किया जावेगा।

9. संविदा नियुक्ति हेतु - अंतिम चयन सूची का निर्धारण शैक्षणिक योग्यता का 65% अंक, अनुभव का 10 / 15 अंक, लिखित / कौशल / साक्षात्कार परीक्षा का 20 अंक के आधार पर कुल 100% अंक की गणना कर चयन समिति द्वारा अंतिम सूची तैयार किया जावेगा।

10. कौशल परीक्षा 20 अंक - पद के अनुरुप लिखित / कम्प्यूटर बेस्ड / साक्षात्कार आदि के रुप से कौशल परीक्षा ली जावेगी।

11. **दस्तावेज सत्यापन :-**

11.1 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिये गये समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज अनुसार सही होना चाहिये, अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात दस्तावेज जांच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण या अधूरी है, तो उन्हें, चयन के पूर्व / पश्चात् किसी भी समय, किसी भी पक्ष की ओर से जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनका चयन निरस्त किया जायेगा।

11.2 शैक्षाणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है, उस संस्था का आवश्यकतानुसार यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य संस्था अमान्य है (इस हेतु वेबसाईट **https://www.ugc.ac.in**) का अवलोकन करें।

11.3 लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के समय एवं चयनित होने के पश्चात् निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति एवं एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना / प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

- 8वीं की अंकसूची।
- 10वीं की अंकसूची।
- 12वीं की अंकसूची।
- संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की समस्त वर्षो की अंकसूची।
- संबंधित पद हेतु वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की समस्त वर्षो की अंकसूची।
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि / प्रमाण पत्र।
- मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर की डिप्लोमा / डिग्री की अंकसूची।
- अहर्तानुसार अनिवार्य तकनीकि शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री।
- संबंधित कौंसिल / रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति / निवास प्रमाण पत्र। (आवश्यकता होने पर उच्चस्तरीय छानबीन समिति द्वारा अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)
- छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- पहचान-पत्र। (आधार कार्ड / वोटर आई. डी. कार्ड / पेन कार्ड / ड्राइविंग लायसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थियों का नाम, पता, फोटो हो)
- यदि दिव्यांग है तो (दिव्यांगता प्रमाण पत्र)

- कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र एवं आदेश की प्रति।
- विशेष छूट हेतु प्रमाण-पत्र।
- वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (लागू हो तो)
- सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद हेतु इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट इन कम्यूनिटी हेल्थ प्रमाण-पत्र ।
- अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि लागू हो तो)।

(उपरोक्त क्रम अनुसार ही अभ्यर्थी स्वप्रमाणित वांछित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।)

12. अन्य नियम एवं शर्तें :-

12.1 संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के साथ राशि रु. 50/- के गैर न्यायिक बंध पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा, अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जावेगा।

12.2 दावा आपत्ति आवेदन हेतु, दावा आपत्ति मंगाये जाने के समय निर्धारित प्रारुप जारी किया जावेगा। उक्त निर्धारित प्रारुप में ही दावा आपत्ति स्वीकार किये जायेंगे। दावा आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

12.3 दावा आपत्ति आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को एक निश्चित समय दिया जायेगा, आवेदन/सूची में त्रुटियों की स्थिति में जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा उक्त दावा आपत्ति आवेदन का निराकरण कर निर्णय ले सकेगी तथा दावा आपत्ति निराकरण कर एवं पात्र अभ्यार्थियों की सूची जारी करेगी एवं दावा आपत्ति अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति आवेदन पत्रों को स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा तथा विज्ञापन में जारी आवेदन प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी नवीन आवेदन, दस्तावेज स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा।

12.4 विज्ञापन व भर्ती प्रक्रिया के समय तथ्यात्मक/लिपिकीय/रिक्तियों/टंकन आदि संबंधित त्रुटि सुधार किया जा सकेगा, जिसकी सूचना विधिवत प्रकाशित किया जावेगा।

12.5 नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

12.6 भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाली किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय गठित चयन समिति/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायगढ़ (छ.ग.) को होगा।

12.7 विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है अथवा संपूर्ण विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार जिला स्तरीय गठित चयन समिति/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायगढ़ (छ.ग.) को होगा।

12.8 आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज का विवरण आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है।

12.9 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप में होना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र के साथ एक पासपोर्ट साईज (नवीनतम) फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा एवं फोटो व दस्तावेज स्व-प्रमाणित होना अनिवार्य होगा।

12.10 विस्तृत जानकारी समय-समय पर रायगढ़ जिले के वेबसाइट **www.raigarh.gov.in** में देखी जा सकती है।

12.11 अभ्यर्थी द्वारा मात्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही, किसी का चयन सुनिश्चित नहीं किया जावेगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की जांच की जावेगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

13. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवायें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/शासन द्वारा वित्त पोषित संस्था द्वारा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण से सेवा समाप्त की गई है, उन्हें अपात्र उम्मीदवार की श्रेणी में रखा जावेगा।

14. भर्ती एवं सेवा अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जारी "**मानव संसाधन नीति 2018**" एवं मानव संसाधन नीति-2018 के यथासंभव नियमों तथा उच्च कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारुप

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

स्व हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो

आपका विज्ञापन क्रमांक ....विज्ञापन दिनाँक .... में विज्ञापित पद क्रमांक..................................
(पद का नाम) .... के लिये मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ।

1. आवेदक / आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :..

आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी कैपिटल अक्षर में) :..

2. पिता / पति का नाम :..

3. माता का नाम :..

4. (अ)जन्म तिथि (अंकों में) :वर्ष..........................माह.....................दिनॉक ....

(ब) आयु 1 जनवरी 2024 की स्थिति में :वर्ष..........................माह....................दिन..
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

5. जाति (सामान्य / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पि.व.) :..
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. लिंग (पुरुष / महिला / अन्य) :..

7. छ.ग. का मूल स्थानीय निवासी है या नहीं :..
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

8. क्या आप विकलांग श्रेणी के है :..
   8.1 विकलांगता का प्रतिशत एवं प्रकार :..
   8.2 भूतपूर्व सैनिक हा / नहीं :..
   (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9. स्थायी निवास का पता :..
:..
:..
:..

10. वर्तमान पत्र व्यव्हार का पता :..
:..
:..

मोबाईल नं.:.. दूरभाष नं. ....
ई-मेल आई.डी:..

11. आवेदक शुल्क -

वर्ग	मानदेय प्रतिमाह 25000 से कम आय के पदो के लिये	मानदेय प्रतिमाह 25000 एवं 25000 से अधिक आय के पदो के लिये
विकलांग / अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला	100 रु.	200 रु.
अन्य पिछड़ा वर्ग	200 रु.	300 रु.
अनारक्षित संवर्ग	300 रु.	400 रु.

(आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक से DISTRICT HEALTH SOCIETY RAIGARH - NON NRHM Fund के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि रायगढ़ में देय होगा, (वापसी देय नहीं) डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। डिमांड ड्राफ्ट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से शुल्क देय मान्य नहीं होगा)

12. बैंक ड्राफ्ट का विवरण :डी.डी. क्रमांक .... दिनाँक.................................

बैंक का नाम .... राशि...

13. शैक्षणिक योग्यता :- वांछित शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण भरा जावें)
शैक्षणिक योग्यता की जानकारी गलत / अधूरा भरा जाने पर आवेदन निरस्त किया जावेगा।

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा का पूर्णांक	उत्तीर्ण परीक्षा का प्राप्तांक	प्रतिशत

14. कार्यानुभव (यदि हो तो उल्लेख करें) :-

क्र.	कार्यालय का नाम	पदनाम	कार्यावधि	रिमार्क

15. क्या आप विवाहित है। (हॉ / नहीं) :...

16. संलग्न स्वसत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची व संख्या :-

1. दसवीं एवं बारहवीं की अंकसूची
2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी सेमेस्टर / वर्षो का)
3. संबंधित कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र स्थायी / सत्यापित
5. मूल निवास प्रमाण पत्र
6. भूतपूर्व सैनिक / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित प्रमाण पत्र
7. विकलांग प्रमाण पत्र जीवित
8. बैंक ड्राफ्ट की मूलप्रति
9. अनुभव / अन्य
10. ....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है। जो किसी भी स्थिति में असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जावेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जाएंगे।

स्थान :-.............................

दिनाँक:-...........................

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम..

पूर्ण पता..

मो. नं.-..

Appendix-1

(Formate For Certification from Principal for Applying for **CHO**, NHM CG)

[For Candidates who shall be Passed in Final Examination of B.Sc. (Nursing)/Post Basic B.Sc. (Nursing) along with integrated Certificate course in Community Health (CCH)]

College Letter Head

Certificate

This is to certify that Mr./Ms./Mrs.-------------------------------------- University enrollment number--Son/Daughter/Wife of --is a passed student of B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing course with intgrated curriculum of certificate in Community Health as per notification of University. He/She is due to passed in final examination of the course.

Date : ----------------------

Authorized Signatory

Signature With Seal